

कार्यालय अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया (म.प्र.)

टेलीफोन नं. 07522-234001

Website - www.datiamedicalcollege.com

E mail Id- datiamedicalcollege@gmail.com & datiamedicalcollege2018@gmail.com

पता - 29 बटालियन के पास, एन.एच. 44,

जिला दतिया, म.प्र. पिन कोड - 475661

क्रमांक - ४९२३ / द.चि. म. / 2022

दतिया, दिनांक - 02/11/2022

// सीमित निविदा प्रपत्र एवं शर्तें //

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया में एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में अध्यनरत् छात्र एवं छात्राओं के लिए (केन्टीन) जल पान गृह हेतु सीमित निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा कार्य समय सूची	वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जल पान (Canteen) गृह हेतु सीमित निविदा आमंत्रण
निविदा विक्रय हेतु प्रारंभ दिनांक एवं समय	02.11.2022 समय प्रातः 11:00 बजे
निविदा जमा करने की अंतिम दिनांक	09.11.2022 समय प्रातः 04:00 बजे
निविदा खोलने की दिनांक	11.11.2022 समय प्रातः 11:00 बजे

निविदा संबंधी नियम व शर्तों को शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया की अधिकृत बेबसाइट www.datia.medicalcollage.com पर देखा व पढ़ा जा सकता है निविदा प्रपत्र शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया की लेखा शाखा में राशि 1,000/- रुपये (एक हजार रुपये मात्र) का भुगतान कर क्रय किया जा सकेगा अथवा बेबसाइट से डाउनलोड किए गये निविदा प्रपत्र के साथ 1,000/- रुपये (एक हजार रुपये मात्र) का डी.डी. Government Medical Collage, Datia Autonomous Society, Datia के साथ जमा कराना अनिवार्य होगा।

निविदा में परिवर्तन, संशोधन अथवा निरस्तीकरण करने का पूर्ण अधिकार अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया को होगा।

अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
दतिया (म.प्र.)



शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया (म.प्र.)

के लिए जल पान गृह (Canteen) हेतु सीमित निविदा आमंत्रण



सीमित निविदा फार्म एवं शर्ट

2022–2023

प्रथम आमंत्रण

ई-मेल :—datiamedicalcollege@gmail.com,

वेब साइट:—www.datiamedicalcollege.com

संपर्क :—. 07522–234001

निविदा क्रमांक 2022_Canteen_01 निविदा प्रपत्र कीमत रु. 1000/- + जी.एस.टी.
(रूपये एक हजार मात्र)

Smt Ch

Asst

AO

कार्यालय अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया (म.प्र.)

निविदा क्रमांक 2022_Canteen_01

सीमित निविदा प्रपत्र एवं शर्तें

निविदा कार्य समय सूची	वित्तीय वर्ष 2022–2023 के लिए जल पान गृह (Canteen) हेतु सीमित निविदा आमंत्रण
निविदा विक्रय हेतु प्रारंभ दिनांक एवं समय	02.11.2022 समय प्रातः 11:00 बजे
निविदा जमा करने की अंतिम दिनांक	09.11.2022 समय सायं 04:00 बजे
निविदा खोलने की दिनांक	11.11.2022 समय प्रातः 11:00 बजे

1. कार्य का नाम :-

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया जल पान गृह (Canteen) हेतु सीमित निविदा

2. निविदा धरोहर राशि:-

निविदादाता को अग्रिम धरोहर राशि (Earnest Money Deposit) न्यूनतम रु. 20,000/- (बीस हजार मात्र रूपय) ऑफलाईन डिमांड ड्रॉफ्ट के माध्यम से (Government Medical College, Autonomous Society Datia) के नाम जमा करनी होगी। अग्रिम धरोहर राशि प्राप्त न होने पर निविदा अमान्य हो जाएगी। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता फर्म का होगा।

सफल निविदाकार की धरोहर राशि निश्पादन प्रतिभूति की राशि जमा करने तक जमा रहेगी। असफल निविदादाताओं की अथवा निविदा के असफल होने पर निविदा धरोहर राशि का डिमांड ड्रॉफ्ट नियमानुसार तुरंत वापिस कर दी जाएगी।

3. निविदा प्रपत्र मूल्य:-

निविदा राशि रु 1000/- शुल्क लेखा शाखा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया में जमा कर क्य की जा सकेगी। निविदा निरस्त अथवा अस्वीकृत होने पर निविदा प्रपत्र मूल्य राशि रु. 1000/- वापिसी योग्य नहीं है।

4. निश्पादन प्रतिभूति:-

स्वीकृत निविदादाता की दरें स्वीकृत होने पर सात दिवस के अंदर 500 रु के स्टाम्प पर 20,000/- (बीस हजार रूपये राशि) (Government Medical College, Autonomous Society Datia) के नाम से एफ. डी. आर. (तीन वर्ष के लिए) बनाकर बैंक गारंटी के साथ अनुबंध कराना अनिवार्य होगा।

5. निविदा की समयावधि:-—अनुबंध के अनुसार निविदा तीन वर्ष के लिए मान्य हेगी। निविदा अवधि स्वीकृत दिनांक से प्रथमतः एक वर्ष की होगी, कार्य संतोषजनक पाए जाने पर फर्म के आवेदन पर एवं महाविद्यालय की क्य समिति / कार्यकारिणी समिति की अनुशंसा पर निविदा को आगामी दो वर्ष के लिए एक—एक वर्ष करके दरों में 10 प्रतिशत राशि प्रतिवर्ष बढ़ोत्तरी के साथ और बढ़ाई जा सकेगी।

कार्य संतोषजनक न पाए जाने पर, एक माह का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा। निविदा की अवधि, कुल तीन वर्ष से अधिक नहीं की जा सकेगी।

6. निविदा का प्रारूप एवं प्रस्तुति विधि:-

निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र को अच्छी तरह से पढ़ने के उपरांत भरा जाना आवश्यक होगा। निविदा प्रपत्र एवं दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता के हस्ताक्षर एवं फर्म की सील होना आवश्यक है। निविदा प्रपत्र में काई सुधार (correction@overwriting) मान्य नहीं होगा। यदि सुधार करना आवश्यक हो तो स्पष्ट रूप से पुनः लिखकर प्रमाणित करना होगा।

निविदा द्विस्तरीय होगी।

(a) निविदा का प्रथम स्तर तकनीकी है जिसमें निविदादाता को परिशिष्ट 1 में चाहे गये समस्त दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता के हस्ताक्षर एवं फर्म की सील लगाकर लिफाफे में जमा करने होंगे। लिफाफे पर तकनीकी निविदा दस्तावेज स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना चाहिए।

(b) निविदा का द्वितीय स्तर वित्तीय निविदा है जिसमें दर प्रपत्र (BOQ) भरना होगा। लिफाफे पर वित्तीय निविदा दस्तावेज स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना चाहिए।

(c) दोनो लिफाफे ऐक साथ ही जमा करने होंगे।

7. निविदा प्रपत्र का विकाय:

निविदा प्रपत्र को www.datiamedicalcollege.com से ऑनलाइन देखने/ पढ़ने के बाद दिनांक 09/11/2022 तक निर्धारित शुल्क जमा कर, लेखा शाखा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया से क्य की जा सकेगी। किसी भी स्थिति में निविदा मूल्य रु. 1000/- वापिसी योग्य नहीं है।

8. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि:-

निविदा दिनांक 09/11/2022 तक जमा की जा सकती है। निविदाकार फर्म से अपेक्षा की जाती है कि उसके द्वारा वही दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएं, जो निविदा में चाहे गये हैं। फर्म द्वारा निर्धारित एवं प्रस्तुत किए गए दस्तावेज ही मान्य किए जाएंगे। विशेष परिस्थितियों में अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया द्वारा अंतिम बढ़ाए जाने का निर्णय लिया जा सकता है।

9. निविदा खोलने की तिथि:-

दिनांक 11/11/2022 अधिष्ठाता दतिया चिकित्सा महाविद्यालय के बैठक कक्ष में निविदा खोलने हेतु गठित क्य समिति के सदस्यों द्वारा उपस्थित निविदादाताओं/ प्रतिनिधि (यदि कोई हो) के समक्ष निविदा खोली जावेगी। निविदादाता/ प्रतिनिधि चाहे तो स्वयं उपस्थित हो सकते हैं।

(a) दिनांक 11/11/2022 को तकनीकी निविदा खोली जाएगी।

(b) तकनीकी निविदा में सफल होने वाले निविदाकारों की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी। वित्तीय

निविदा खोलने की दिनांक की जानकारी www.datiamedicalcollege.com के माध्यम से उपलब्ध करा दी जावेगी।

- (c) चाहे गये दस्तावेज / अभिलेख प्रस्तुत न करने पर किसी भी स्तर पर निविदाकार फर्म के असफल हाने की जबाबदेही संबंधित फर्म की होगी।
- (d) क्य समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
- (e) यदि निविदा खोलने की दिनांक में अवकाश घोषित किया जाता है तो निविदा अगले दिवस में खोली जावेगी।

10. निविदा का परीक्षण एवं चयन:-

- विज्ञप्ति निविदा द्विस्तरीय होगी। जो कमशः तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा के रूप में खोलकर की जावेगी।
- प्रथमतः सभी प्राप्त निविदादाताओं की तकनीकी निविदा खोली जावेगी। जो निविदादाता फर्म, तकनीकी निविदा में सफल हुए होंगे, उन्हीं निविदादाताओं की वित्तीय निविदाएँ खोली जाएँगी। क्य समिति के सदस्यों द्वारा सभी निविदाओं का सूक्ष्म परीक्षण किया जाएगा तथा चाहे गये स्थीर अभिलेखों के विश्लेषण के आधार पर निविदादाता फर्म को तकनीकी निविदा में अर्ह माना जाएगा। जो निविदादाता तकनीकी निविदा में असफल होंगे, उनकी वित्तीय निविदाएँ नहीं खोली जाएँगी।
- तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक से 24 घण्टे के अंदर प्राप्त आपत्तियों पर ही विचार किया जावेगा। समय सीमा के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा।
- द्वितीयतः जिस निविदादाता की वित्तीय निविदा में प्रस्तुत दर / किराया अधिकतम होगा, उसे चयनित किया जायेगा।
- जल पान गृह (कैटीन) में कार्य दिवस / शैक्षणिक दिवस में जल पान गृह (कैटीन) में चाय, नास्ता, भोजन आदि हेतु उपस्थिति की अनुमानित संख्या आवेदन भरने के पूर्व आप स्वयं आकलन करें।
- जल पान गृह (कैटीन) का उपलब्ध क्षेत्रफल जो कि जल पान गृह (कैटीन) संचालक को संचालन हेतु दिया जावेंगा, अन्य क्षेत्र का उपयोग निषेध होगा। निम्नलिखित जल पान गृह (कैटीन) की मासिक अनुदान राशि आवेदनकर्ता को आपने प्रस्ताव में उल्लेखित करना होगा तथा उक्त स्थानों का अधिकतम अनुदान प्रतिमाह रहेगा जो कि निम्नानुसार है:-

क्रमांक	कैफेटेरिया का नाम	स्थान	कैफेटेरिया का क्षेत्रफल	न्युनतम अनुदान प्रतिमाह	अनुदान प्रतिमाह आवेदनकर्ता द्वारा भरा जावेगा
01	जल पान गृह (कैटीन)	शा.चि.म. दतिया (म.प्र.)	232.5 वर्ग मीटर	35,000/-	

- g) BOQ में मैन्यु (Proposed Food Menu Attached with Rates in Tender Document) के हिसाब से सबसे अधिकतम दर अंकित करने वाले निविदाकर्ता को H-1 अंकित कर निविदा का चयन किया जायेगा। एवं ऐसे H-1 निविदाकर्ता को सफल निविदाकार घोषित

कर जल पान गृह (कैंटीन) के संचालन का ऑर्डर प्रेशित किया जायेगा। जिसमें अधिष्ठाता का निर्णय सर्वोपरि होगा।

- h) यदि एक से अधिक निविदादाता की दरें बराबर होंगी तो उस स्थिति में जिस निविदाकार का शासकीय कार्यालय का कार्यअनुभव अधिक होगा उसे प्राथमिकता दी जावगी।
- i) किसी भी स्तर में निविदादाता के असफल होने का संपूर्ण उत्तरदायित्व फर्म का होगा।
- j) अधिष्ठाता, दतिया चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया को अधिकार होगा कि वह प्रथम अधिकतम दर / द्वितीय अधिकतम दर वाली फर्म को यदि वह उचित समझता है तो किसी कारण बताए स्वीकृत / अस्वीकृत कर सकेगा।
- k) अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
- l) निविदा में उल्लेखित कार्यक्षेत्र में बाहर सूचना के किसी भी समय परिवर्तन करने या निविदा निरस्त करने का अधिकार अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया को है।

11. अनुबंध:-

अधिकतम वित्तीय दर वाले निविदाकार को अधिष्ठाता दतिया चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया के साथ एक वर्ष के लिए शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया अनुबंध कराना अनिवार्य होगा। इस हेतु निर्धारित राशि रु. 500/- के स्टाम्प पेपर नोटरी इत्यादि का व्यय निविदादाता को स्वयं वहन करना होगा।

12. दतिया चिकित्सा महाविद्यालय जल पान गृह (Canteen) हेतु अनिवार्य (अनुबंध) शर्तः-

1. निविदादाता को परिशिष्ट 1 में वर्णित कागजात तकनीकी लिफाफे में जमा कराना आवश्यक होगा।
2. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत कोई भी दस्तावेज गलत या कूटरचित पाये जाने पर उसकी निविदा निरस्त की जाकर उसकी धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी एवं उसका/उसकी संस्था का नाम काली सूची में डाल दिया जावेगा।
3. निविदादाता को बिजली के उपयोग के लिये MPPKVEL द्वारा प्रमाणित एक सब मीटर लगवाना होगा। जिसका बिल नियमित रूप से प्रतिमाह बिल की समयावधि में संस्था में जमा करना होगा एवं इलेक्ट्रीक शुल्क वर्तमान MPPKVL की व्यवसायिक दर से देय होगा। MPPKVL द्वारा दरे वृद्धि करने पर तदनुसार वृद्धि की जावेगी।
4. निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने पर संबंधित को छः माह का किराया भी अग्रिम रूप से जमा करना होगा।
5. यदि ठेकेदार एक वर्ष के पूर्व स्वेच्छा से जल पान गृह/कैंटीन का कार्य बंद करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में धरोहर राशि राजसात हो जावेगी।
6. निविदादाता को प्रतिमाह किराया राशि एवं बिजली राशि स्वशासी संस्था में 10 तारीख में पूर्व जमा कराने होंगे।
7. निविदादाता यदि निर्धारित दरों से अधिक दरों की वसूली करते हुये पाया जाता है तो अधिकतम तीन बार उस राशि रूपये 1,000,00 (प्रत्येक बार) अर्थदण्ड वसूल किया जावेगा तदोपरांत भी सुधार न होने पर ठेका निरस्त किया जाकर धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी।

8. ठेकेदार को संलग्न सूची में निर्धारित वजन मात्रा एवं दर के अनुसार खाद्य सामग्री ताजे रूप से तैयार करते हुए जल पान गृह (कैंटीन) रखना होगी। जिन सामग्री की दरें निर्धारित नहीं की जा रही है ऐसी सामग्री के अतिरिक्त विभिन्न निर्माणकर्ताओं द्वारा बनी हुई पेक सामग्री उस पर मुद्रीत एम. आर. पी. पर अंकित दरों पर अथवा उससे कम पर प्रदाय करना होगा। मेन्यु में निर्धारित वजन मात्रा एवं दर का अवलोकन कार्यालय समय में क्रय शाखा में उपस्थित होकर किया जा सकेगा।
9. दर सूची एवं सामग्री की मात्रा का प्रकाशन जल पान गृह (कैंटीन) काउन्टर के पटल पर पेन्टर द्वारा लिखकर दर्शाना होगी।
10. जल पान गृह (कैंटीन) में उपयोग कि जाने वाली कच्ची सामग्री एवं बनी हुई सामग्री की गुणवत्ता की जांच किसी भी समय शासन के समक्षम अधिकारी/संस्थान के अधिष्ठाता/संस्था अधिष्ठाता द्वारा इस हेतु नई समिति द्वारा कभी भी किसी भी समय की जा सकती है यह प्रक्रिया बनी हुई सामग्री वजन आदि के लिए मान्य होगी।
11. ठेकेदार को जल पान गृह (कैंटीन) के उपयोग के लिये उत्तम किरम के आवश्यक फर्नीचर (सनमायका टॉप) स्टेनलेस स्टील के बर्तन व उच्च प्रकार की क्राकरी आदि की व्यवस्था स्वयं करना होगी। प्लास्टिक बर्तन/ डिस्पोजेवल का उपयोग वर्जित रहेगा। चाय एवं काफी के लिए सफेद रंग के क्राकरी के कप, प्लेट ही उपयोग किये जावे।
12. जल पान गृह (कैंटीन) में प्रदाय किये जाने वाले पदार्थ शुद्ध एवं उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग किया जावे। इस संबंध में अधिष्ठाता या संबंधित संस्था के संबंधित अधिकारी द्वारा समय—समय पर दिये गये निर्देशों का भी पालन करना होगा।
13. आदेश दिये जाने पर खाद्य सामग्री व चाय आदि महाविद्यालय में अधिष्ठाता कार्यालय एवं विभागों में स्वयं ठेकेदार को भेजने की व्यवस्था करनी होगी। जिसके लिए कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।
14. खाद्य सामग्री उत्तम गुणवत्ता की कच्ची सामग्री उपयोग करते हुए बनाना होगा। रिफाईन्ड तेल का उपयोग करना होगा। ताजी सब्जियाँ, दूध, दही आदि का ही उपयोग करना होगा। एक दिन पूर्व की बनी हुई खाद्य सामग्री का उपयोग वर्जित रहेगा।
15. जल पान गृह (कैंटीन) में शुद्ध पानी (R.O. System) पर्याप्त व्यवस्था जल पान गृह ठेकेदार को रखना होगी तथा हाथ धोने के स्थान पर साबुन एवं टावेल रखना होगा। पीने के पानी का एवं हाथ धोने का स्थान अलग— अलग होना चाहिए, जिसकी व्यवस्था जल पान गृह (कैंटीन) संचालक को स्वयं को करनी होगी।
16. खान पान में फूटपौजनिंग /कंटेनमेशन पाये जाने कि स्थिति में अनुबंधकर्ता सम्पूर्ण पश्ववर्ती स्थितियों के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होगा एवं इससे उत्पन्न होने वाली स्थिति के लिये समस्त खर्चों का वहन अनुबंधकर्ता को करना होगा।
17. जल पान गृह (कैंटीन) में बिड़ी, सिगरेट, तम्बाकू आदि किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ विक्रय नहीं किया जावेगा और ठेकेदार या उसके कर्मचारी आदि कोई भी मादक पदार्थ का उपयोग नहीं करेंगे। ठेकेदार किसी भी व्यक्ति को मादक पदार्थ बाहर से लाकर जल पान गृह में उपयोग करने के लिये

अनुमति नहीं देगा। किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ पाये जाने पर 1,000 रु. का आर्थिक दण्ड देना होगा। मादक पदार्थ के प्रतिबंध के साइन बोर्ड लगाने होंगे।

18. आपको जल पान गृह (कैंटीन) में केवल वही खाद्य सामग्री का विक्रय करना होगा जिनकी सामग्रीवार दरें प्रथमतः निर्धारित की जाएगी। निर्धारित समस्त सामग्रिया प्रत्येक दिवस मांग पर उपलब्ध करानी होगी। अतिरिक्त सामग्री अधिष्ठाता की अनुमति के बिना रखना वर्जित रहेगा। उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर प्रत्येक अवसर पर रु.1000/- का जुर्माना लिया जावेगा।
19. संस्थान में समय-समय पर होने वाले बैंठकों कार्यशालाओं, अन्य आयोजनों पर आदेशित सामग्री एवं उनसे संबंधित समस्त निर्देशित व्यवस्थाएं आपको करना होगी। जिसके लिए कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।
20. ठेकेदार को जल पान गृह (कैंटीन) स्वयं चलाना होगा। वह किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था को हस्तांतरित अथवा सबलेट नहीं कर सकेगा। ऐसा करने पर ठेका स्वतः निरस्त माना जावेगा।
21. संस्थान द्वारा जारी शर्तों के अतिरिक्त, ठेकेदार की किसी भी शर्त को स्वीकार नहीं किया जावेगा।
22. जल पान गृह (कैंटीन) में किसी भी प्रकार का उपद्रव, आपत्तिजनक शोरगुल पूर्णतः निशेघ रहेगा। कैफेटेरिया (कैंटीन) में अनुशासन व शांति बनाये रखना ठेकेदार का ही कर्तव्य होगा।
23. जल पान गृह (कैंटीन) में प्रयोग कोल्ड्रिंग्स, आईसक्रीम एवं दूध व अन्य खाद्य सामग्री को रखने के लिये फिज एवं चीलर आवश्यक रूप से रखना होगा।
24. जल पान गृह (कैंटीन) में प्रयोग की जाने वाली चटनीयों व सलाद प्रतिदिन ताजा होना चाहिए तथा ट्रमेटो सॉस ब्रांडेड होना चाहिए।
25. जल पान गृह (कैंटीन) में ठंडे खाने को गर्म करने हेतु एक माइक्रोवेव ओवन की व्यवस्था करनी होगी।
26. जल पान गृह (कैंटीन) तथा उससे संबंधित उपयोग में आने वाले स्थान की साफ-सफाई एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की पूर्ण जिम्मेदारी आवेदनकर्ता की ही होगी। इसका समस्त व्यय उसे करना होगा। नगर-निगम व शासन की वाली कार्यवाही का जवाबदार जल पान गृह (कैंटीन) संचालक स्वयं रहेगा।
27. सामग्री के टेबल अथवा संस्थान परिसर में आदेशित स्थान पर सामग्री व्यवस्थित रूप से पहुचाने एवं उसके सर्विस करने तथा उपयोग उपरान्त साफ-सफाई करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की ही होगी। इसके लिये कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।
28. जल पान गृह (कैंटीन) में जो कर्मचारी रखे जावेंगे उनकी सूची फोटो, पते एवं फोन न आदि अधिष्ठाता कार्यालाय में समय-समय पर देना होगें, बाल मजदुर प्रतिबंधित रहेंगे तथा सभी का पुलिस वैरिफिकेशन अनिवार्य होगा।
29. अनुबंधकर्ता को मिनिमन वेजेंस एक्ट, कान्ट्रोक्ट लेबर एक्ट, इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूड एक्ट, वर्क्समैन कॉम्पनसेशन एक्ट, तथा अन्य संबंधित नियम व अधिनियम, आदि (जो प्रभावित हो) का पालन करना होगा।
30. केवल परिसर के रहने वाले व्यक्ति हेतु उपयोग के लिए मान्य होगा।

31. कर्मचारियों की आई.डी एवं उनकी संख्या निर्धारित रहेगी।
32. कर्मचारी अपने रिश्तेदार, मित्र आदि का कॉलेज परिसर में आना प्रतिबंधित रहेगा।
33. समय—समय पर शासन के द्वारा जारी समस्त नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
34. दुकान संचालन का समय महाविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जावेगा।
35. निविदादाता को निविदा निरस्तीकरण के कारण बताये जाने के बारे में कोइ अधिकार नहीं होगा।
36. निविदादाता के कार्य के संबंध में शिकायत पाये जाने एवं उसमें सत्यता होने पर ठेका तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा एवं धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी।
37. कार्य अवधि के दौरान महाविद्यालय की संपत्ति अथवा सामग्री को निविदादाता के द्वारा नुकसान होता है तो उसकी भरपाई धरोहर राशि से एवं राशि अधिक होने पर निविदादाता के देयक में से की जावेगी।
38. निविदाकार फर्म से किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अधिष्ठाता दतिया मेडीकल कॉलेज का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
39. अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया को ऊपर दी गयी शर्तों में कमी अथवा संशोधन करने का पूर्ण अधिकार है/ रहेगा।
40. निविदादाता दी गयी जानकारी असत्य, संलग्नक फर्जी पाए जाने पर निविदा निरस्त करते हुए, जमा धरोहर राशि राजसात करते हुए, वैधानिक कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता फर्म का होगा।

1
S. S. M.
A. K. M.

परिशिष्ट 1

चैक लिस्ट

- I. रुपये 20,000/- का ई.एम.डी. डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा।
- II. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नं. की स्वयं सत्यापित छायाप्रति।
- III. पेन कार्ड की स्वयं सत्यापित छायाप्रति।
- IV. वित्तीय वर्ष 2018–19, 2019–20, 2020–21 (ऐसेसमेंट ईयर 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22, का जमा किये गए आयकर रिटर्न की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति)
- V. निविदादाता फर्म का तीन वर्ष का पृथक–पृथक मिनिमम राशि 10 लाख प्रतिवर्ष का चार्टड एकाउंटेट द्वारा प्रमाणित टर्न ओवर की स्वप्रमाणित प्रति।
- VI. स्थापना पंजीयन (शॉप एक्ट) का जीवित रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र।
- VII. 100 रु के स्टाम्प पर नोटराइज्ड घोषणा पत्र
- VIII. ब्लेक लिस्ट में न होने का शपथ पत्र।

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

परिशिष्ट 2

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया (म.प्र.)

के लिए जल पान गृह (Canteen) हेतु सीमित निविदा आमंत्रण
तकनीकी निविदा प्रपत्र

निविदाकार फर्म का पूरा नाम

क्र.	तकनीकी मापदण्ड हेतु अनिवार्य दस्तावेज	निविदाकार के द्वारा टिक किया जावे	परीक्षण समिति के द्वारा टिक किया जावे
01	रुपये 20,000/- का ई.एम.डी. डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा।		
02	जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नं. की स्वयं सत्यापित छायाप्रति।		
03	पेन कार्ड की स्वयं सत्यापित छायाप्रति।		
04	वित्तीय वर्ष 2018–19, 2019–20, 2020–21 (ऐसेसमेंट ईयर 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22, का जमा किये गए आयकर रिटर्न की स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति)		
05	निविदादाता फर्म का तीन वर्ष का पृथक–पृथक मिनिमम राशि 10 लाख प्रतिवर्ष का चार्टड एकाउंटेट द्वारा प्रमाणित टर्न ओवर की स्वप्रमाणित प्रति।		
06	स्थापना पंजीयन (शॉप एक्ट) का जीवित रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र।		
07	100 रु के स्टाम्प पर नोटराइज्ड घोषणा पत्र		
08	ब्लैक लिस्ट में न होने का शपथ पत्र।		

स्थान :.....

दिनांक :

निविदाकार के हस्ताक्षर

वित्तीय निविदा प्रपत्र

परिशिष्ट 3

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया (म.प्र.)

के लिए जल पान गृह (Canteen) हेतु सीमित निविदा आमंत्रण

वित्तीय निविदा प्रपत्र

BOQ

निविदाकार फर्म का पूरा नाम

क्र.	विवरण	निर्धारित किराया	प्रस्तावित किराया	जी.एस.टी. प्रतिशत	जी.एस. टी. राशि	किराया जी. एस.टी. सहित
01	मासिक किराया	3500 Rs/-				

Abir

स्थान :

दिनांक :

निविदाकार के हस्ताक्षर

S. C. M *Abir* *A* *8*

परिशिष्ट 4

// घोषणा पत्र //

निविदादाता को 100 रु के स्टाम्प पर नोटराइज्ड कर निम्न घोषणा पत्र देना होगा।


- (1) मैं/हम भारत के नागरिक हैं/हूँ।
- (2) मैं/हम निविदा अधिनियम के अनुसार निविदा करने के लिए सक्षम हूँ/हैं।
- (3) मैं/हम वस्तुओं का असमाधानप्रद प्रदाय करने के कारण मध्यप्रदेश शासन के किसी विभाग द्वारा बहिश्कृत नहीं किया गया हूँ/हैं।
- (4) मैं/हम किसी ऐसे ठेकेदार को जो कि मध्यप्रदेश शासन के किसी विभाग द्वारा न बहिश्कृत किया गया हो न तो अभिकर्ता हूँ/हैं और न ही उसके लिए कार्य करता हैं/करते हैं।

स्थान :

दिनांक :

निविदाकार के हस्ताक्षर

०५.८.



परिशिष्ट 5

निविदा आवेदन प्रपत्र का प्रारूप, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया म.प्र. के अंतर्गत में वित्तीय वर्ष 2022–2023 के लिए जल पान गृह (Canteen) हेतु सीमित निविदा

(निविदाकार अपने लैटर हैड में प्रस्तुत करें)

प्रति,

अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय,
दतिया म.प्र.

विषय— वित्तीय वर्ष 2022–2023 के लिए जल पान गृह (Canteen) हेतु सीमित निविदा बावत्।

महोदय,

दैनिक समाचार पत्र.....

दिनांक को www.datiamedicalcollege.com में प्रकाशन के दौरान ज्ञात हुआ, कि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया म.प्र. के अंतर्गत महाविद्यालय, में वित्तीय वर्ष 2022–2023 के लिए जल पान गृह (Canteen) हेतु, सीमित निविदा आमंत्रित की गई है। इस हेतु मेरे द्वारा निविदा फॉर्म में उल्लेखित सभी शर्तों को पढ़ एवं समझ लिया है मुझे सभी शर्तें स्वीकार हैं। अतः निविदा फॉर्म की कॉपी कार्यालय में प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे फर्म के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है—

1. निविदाकार फर्म का पूरा नाम.....
2. निविदाकार फर्म का पंजीयन नं.....
3. प्रोपराइटर का नाम
4. पत्राचार का पता
5. स्थाई पता
6. मोवाईल नं., फैक्स
7. ईमेल

हस्ताक्षर निविदाकार एवं पूर्ण पता

S. M. S. M.

A. N. A. N.



b

परिशिष्ट 6

जल पान गृह हेतु मेन्यु कार्ड

BREAKFAST		
Food items	Quantity/Unit	Proposed Rate
Samosa	2 Pieces	25
Kachori	2 Pieces	25
Bedai	2 Pieces	25
Plain Paratha	1 Piece	15
Aloo Paratha	1 Piece	25
Paneer Paratha	1 Piece	35
Onion Paratha	1 Piece	35
Cheese Corn Paratha	1 Piece	50
Poha	1 Plate	20
Dhokla	4 Pieces	40
Jalebi	100 GM	10
SOUTH INDIAN		
Masala Dosa	1 Plate	50
Paneer Dosa	1 Plate	60
Plain Dosa	1 Plate	40
Idli Sambar	4 Pieces	40
Uttapam	1 Plate	50
Paneer Uttapam	1 Plate	60
Onion Uttapam	1 Plate	50
SANDWICHES & BURGER		
Grilled Sandwich	1PCS	40
Cheese Grilled Sandwich	1PCS	50
Aloo Masala Sandwich	1 PCS	40
Cheese Aloo Masala	1 PCS	55
Paneer Cheese	1 PCS	55
Pizza Sandwich	1 PCS	60
Chesse Corn Sandwich	1 PCS	60
Special Sandwich	1PCS	60
Aloo Tikki Burger	1PCS	40
Cheese Aloo Tikki	1 PCS	50
Veggie Burger	1 PCS	40
Special Burger	1 PCS	60
FAST FOOD		
Finger Chips Fries	1PCS /large	30/50
Peri Peri Fries	1PCS/ large	40/60
Cheeseling Chips	1 PCS /large	40/60
Sweet Corn Masala	1 PCS	40
Chili Paneer	1 PCS	80
Chili Patato	1 PCS	50
Paneer Tikka	1 PCS	-----
Manchurian	1PCS	60
Noodles	1PCS	50
Cheeseling Nachos	1 PCS/ large	40/60

Nachos With Dip	1 PCS /large	40/60
Steamed Momos	6 PCS	30
Fried Momos	6 PCS	40
Cheese Momos	6 PCS	50
Chole Bhature	2 PCS	40
White Sauce Pasta	1 Plate	50
Red Sauce Pasta	1 Plate	50
Vegetable Pasta	1 Plate	50
Pav Bhaji	2 Pav and Sabji	40
Pani Puri	6 PCS and Sabji	20
Aloo Tikki Chat	1 PCS	30
THALI & COMBOS		
Regular Thali (6 roti, sabji, dal, rice, achar, onion, salad)	1 Plate	60
Special Thali (6 roti, 2 Sabji, dal, rice, green, salad)	1 Plate	80
Deluxe Thali (6 roti, 2 Sabji, 1 paneer, dal, rice, green, salad, dessert)	1 Plate	100
Dal Chawal	1 Plate	40
Chole Chawal	1 Plate	40
Rajma Chawal	1 Plate	40
Pori,Sabji (5 puri,Sabji,raita, Achar)	1 Plate	50
ROLLS		
Patties Roll	1 PCS	30
Aloo Tikki Roll	1 PCS	40
Kabab Roll	1 PCS	40
Chill Paneer Roll	1 PCS	50
Paneer Roll	1 PCS	50
Manchurian Roll	1 PCS	40
Pasta Roll	1 PCS	40
Pizza Roll	1 PCS	50
Chole Bhature	2 PCS	40
PATTIES		
Patties Roll	1 PCS	30
Aloo Tikki Roll	1 PCS	40
Kabab Roll	1 PCS	40
BAKED ITEMS		
Pastry	1 PCS	40
Cream Roll	1 PCS	15/30
Brownie	1 PCS	45
Cake	1 PCS	250/300/400
SHAKES & BEVERAGES		
Tea	150 ML	10
Masala Tea	150 ML	15
Green Tea	150 ML	15
Ginger Tea	150 ML	15
Chocolate Tea	150 ML	20
Rose Tea	150 ML	20



Hot Coffee	150 ML	20
Chocolate Hot Coffee	150 ML	25
Cold Coffee	150 ML	40
Cold Coffee with Icecream	150 ML	50
Chocolate Milk Shake	300 ML	55
Banana Milk Shake	300 ML	55
Strawberry Milk Shake	300 ML	55
Vanila Milk Shake	300 ML	55
ButterScotch Milk Shake	300 ML	55
Mango Milk Shake	300 ML	65
Oreo Milk Shake	300 ML	65
Kitkat Milk Shake	300 ML	65
Blue Lagoon	300 ML	60
Mint Lemonade	300 ML	50
Fruit Punch	300 ML	80
Plain Lassi	300 ML	29
Rose Lassi	300 ML	49
Mango Lassi	300 ML	49

JUICES

Mosambi Juice	300 ML	40
Pineapple Juice	300 ML	50
Orange Juice	300 ML	40
Mixed Fruit Juice	300 ML	40
Pomegranate	300 ML	50
Green Juice	300 ML	40
Coconut Juice	300 ML	50

नोट: मीनू कार्ड दर एवं मात्रा क्य शाखा की शिफारिशों की आधार पर अधिष्ठाता द्वारा परिवर्तित की जा सकती है।

अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
दतिया (म.प्र.)